न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0   /2018 पुनर्विलोकन III/पुनर्विलोकन/अशोकनगर/भू.रा./2018/2098

श्री विनोद श्रीवास्तव द्वारा आज दि. 31-3-018 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-4-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 31-3-18
राजस्व मण्डल, म.प्र.

1— हरकुवंर बेवा पत्नी बाबूलाल आयु 65 वर्ष

2— चरणसिंह पुत्र बाबूलाल आयु 42 वर्ष

3— बंशीलाल पुत्र बाबूलाल आयु 42 वर्ष

4— फूलसिंह पुत्र बाबूलाल आयु 39 वर्ष

5— शांतिबाई पत्नी बाबूलाल आयु 34 वर्ष

6— रूकमणी पुत्री बाबूलाल आयु 16 वर्ष नाबालिग सरपरस्त पिता बंशीलाल सभी जाति कुशवाह निवासीजन देशवारी मोहल्ला ईसागढ़ तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर म0प्र0

—— आवेदकजन

बनाम

रामरतीबाई पत्नी प्राणसिंह आयु 67 वर्ष जाति कुशवाह निवासी देशवी मोहल्ला ईसागढ़ तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर म0प्र0

——अनावेदिका

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0भू0राज0सं0 1959

माननीय एस0एस0 अली सदस्य माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के प्रकरण कमांक तीन—निगरानी/ अशोकनगर भू.रा. /2017/2120 पारित आदेश दिनांक 9/3/18 के संबंध में

माननीय महोदय,

सेवा में पुनर्विलोकन आवेदन निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है:—

1— यह कि पुनर्विलोकनकर्ता गण की ओर से माननीय न्यायालय में एक निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के अंतर्गत की थी। जिसका प्रकरण कमांक तीन—निगरानी/अशोकनगर भू.रा./2017/2120 होकर दिनांक 9/3/18 को निगरानी स्वीकार कर रिमाण्ड आदेश पारित किया। रिमाण्ड आदेश के संबंध में यह पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है जो निम्न प्रकार से है।

चरणसिंह बंशीलाल
फूलसिंह

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन / रिव्यु / अशोकनगर / भूरा / 2018 / 2098

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
03–8–18	आवेदक अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2–यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / अशोकनगर / भूरा / 2017 / 2120 में पारित आदेश दिनांक 9.3.18 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक तीन / रिव्यु / अशोकनगर / भूरा / 2018 / 2098 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / अशोकनगर / भूरा / 2017 / 2120 में पारित आदेश दिनांक 9.3.18 से वर्णित किया जा चुका है। 4–प्र0 क0 तीन / रिव्यु / अशोकनगर / भूरा / 2018 / 2098 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नावलोकन में जो आधार बताये गये हैं। प्रकरण कमांक	

तीन/रिव्यु/अशोकनगर/भूरा/2018/2098 उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य